यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) के माह 04/2012 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. के. गुप्ता, एवं श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो० सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08/11/2017 से 13.11.2017 तक श्री आई०के० जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत स्थापित चिकित्सा उप-केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(II) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)	अधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	--	--	196.35	163.32	36.98	33.50		33.03	--	3.48
2013-14	--	--	213.11	200.91	41.45	41.10		12.20	--	0.35
2014-15	--	--	187.94	185.19	49.49	48.35		2.75	--	1.14
2015-16	--	--	244.75	208.96	41.34	35.10		35.79	--	6.24
2016-17	--	--	268.22	219.89	41.10	36.62		48.33	--	4.48
2017-18 (09/2017)	--	--	242.63	137.42	49.18	28.89		105.20	--	20.29

नोटः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को बजट का सर्मपण किया गया।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13		6.18	76.19	75.02		7.35
2013-14		7.35	62.71	57.04		13.02
2014-15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13.02	59.94	58.80		14.16
2015-16		14.16	59.40	69.86		3.70
2016-17		3.70	80.70	75.75		8.65
2017-18 (09/2017)		8.65	21.11	20.57		9.19

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2. अपर सचिव, चिकित्सा एं स्वास्थ्य 3. महानेदेशक 4. निदेशक 5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 6. चिकित्सा अधीक्षण 7. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी 8. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 9. चिकित्साधिकारी 10. पैरामेडिकल संवर्ग 11. मिनिस्टिरियल संवर्ग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) को आच्छादित किया गया। लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी/2016, मार्च/2016 एवं मई 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (अ)

प्रस्तर **01** :- **₹ 35.14** लाख का अधिक भुगतान।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून द्वारा जनपद चमोली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण को लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership) के अतंर्गत संचालन हेतु मै0 शील नर्सिंग होम प्रा0 लि0, बरेली, उत्तर प्रदेश के साथ पाँच वर्ष की अवधि हेतु रियायत अनुबन्ध (Concession Agreement) किया गया (मई 2013)। रियायत अनुबन्ध के अनुसार (I) शिड्यूल-9 में उल्लिखित 12 क्लीनिकल कार्मिकों एवं 30 पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्ति शिड्यूल-5 में इंगित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर करना होगा (II) कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सॉफ्टवेयर के साथ जी0पी0एस0 सक्षम बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करना होगा, (III) सॉफ्टवेयर से उत्पन्न देयकों को ही स्वीकार किया जाएगा ताकि कार्मिकों की उपस्थिति एवं फर्म द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के आंकड़ों को मेनुपुलेट नहीं किया जा सके, (IV) समस्त कार्मिकों द्वारा प्रत्येक दिन ड्यूटी के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज करनी होगी तथा बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का डाटा वैबसाइट पर भी अपलोड करना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर शासन द्वारा भी इसका संज्ञान लिया जा सके, (V) प्राइवेट पार्टनर को सेवायें प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा स्थाई अनुदान (Fixed Grant) एवं परिवर्तित अनुदान (Variable Grant) का भुगतान किया जाएगा परन्तु यदि फर्म शिड्यूल-10 में उल्लिखित मुख्य निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicator) को प्राप्त नहीं करता है तो पूर्ण त्रैमास हेतु भुगतान में से 6-10 प्रतिशत के मध्य कम के0पी0आई0 प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत, 11-15 प्रतिशत के मध्य कम के0पी0आई0 प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत, 16-20 प्रतिशत के मध्य कम के0पी0आई0 प्राप्त करने पर 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक से कम के0पी0आई0 प्राप्त करने पर 40 प्रतिशत की कटौती की जानी होगी एवं (VI) फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गये देयकों को अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जाँच करते हुए भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करना होगा।

कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) के लोक निजी सहभागिता से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा रियायत अनुबन्ध में प्रावधानित आवश्यक अनुबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके उदाहरण निम्नवत् हैः-

1. फर्म द्वारा अनुबन्ध होने के चार से अधिक वर्ष होने के पश्चात् भी शिड्यूल-9 में प्रावधानित क्लीनिकल कार्मिकों की पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं की गयी थी। यहाँ तक कि क्लीनिकल कार्मिकों के अनुभव में भी अनुबन्ध में निर्धारित पाँच वर्ष का भी अनुपालन नहीं किया गया था। उदाहरणार्थ सामान्य ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ने वर्ष 2013 में

एम0बी0बी0एस0 डिग्री पूर्ण की एवं उसे वर्ष 2014 से स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त किया गया, जबकि क्लीनिकल कार्मिकों हेतु योग्यता के साथ-साथ पाँच वर्ष का पूर्व अनुभव अनिवार्य था। लोक निजी सहभागिता के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन जनवरी 2014 से प्रारम्भ हुआ था तथा जनवरी 2014 से सितम्बर 2017 तक क्लीनिकल कार्मिकों की अनुपस्थिति 25.31 प्रतिशत से 67.09 प्रतिशत तक थी, जो यह सिद्ध करता था कि स्वास्थ्य केन्द्र में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने में फर्म पूर्ण रूप से विफल रही।

2. हालांकि स्वास्थ्य केन्द्र में बॉयोमीट्रिक उपस्थिति मशीन उपलब्ध थी परन्तु उसे न तो इन्टरनेट एवं न ही कम्प्यूटर से जोडा गया है। मशीन का उपयोग न कर उसे मात्र अनुबन्ध के अनुरूप दिखावे के लिए रखा गया था तथा समस्त कार्मिकों की उपस्थिति मैनुअली उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जा रही थी, ताकि के0पी0आई0-1 एवं 2 में वास्तविकता का पता न चल सके एवं आंकड़ों में मैनुपुलेट किया जा सके। इसके अतिरिक्त कार्मिकों द्वारा प्रत्येक दिन ड्यूटी के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गयी थी।

3. क्लीनिकल कार्मिकों में फिजिशियन, एनस्थिया, ई0एन0टी0 एवं जनरल सर्जन का अभाव हमेशा ही स्वास्थ्य केन्द्र में बना रहा।

4. अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली ने फर्म द्वारा प्रेषित मैनुअली देयकों को स्वीकार किया गया तथा देयकों को अनुबन्ध में प्रावधानित के0पी0आई0 एवं प्रोत्साहन तंत्र के ढॉचें में दर्शाए गये सूत्र के अनुसार जाँच किए बिना ही भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष को अग्रसारित किए गये।

5. अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली द्वारा उपस्थिति के अनुरूप के0पी0आई0 कम होने के बावजूद प्रस्तुत देयकों में कटौती किए जाने हेतु न तो कोई अनुशंसा की गयी एवं न ही इस हेतु फर्म को कोई कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जो यह पुष्टि करता है कि अधीक्षक द्वारा बिना कार्मिकों की अनुपस्थिति/उपस्थिति एवं फर्म द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की सत्यता जाँचे ही देयकों को अग्रसारित किया गया।

6. फर्म द्वारा के0पी0आई0—4 में निष्पादन शत्-प्रतिशत दर्शाया गया जबकि पी0पी0पी0 द्वारा संचालित कुल अवधि 45 माह में से 25 माह में कोई अल्ट्रासाउण्ड नहीं हुए एवं 28 माह कोई ई0सी0जी0 नहीं हुए। इसके बावजूद अधीक्षक द्वारा फर्म से कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा गया।

7. अधीक्षक द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य केन्द्र में फर्म की कमियों को उजागर किया गया था, परन्तु न तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाई की गयी एवं न ही फर्म द्वारा उन कमियों का निराकरण किया गया।

उपरोक्त उल्लंघनों के साथ-साथ बिल देयकों, महानिदेशक द्वारा किए गये भुगतान विवरण तथा कार्मिकों की अनुपस्थिति पंजिका से तैयार किए गये के0पी0आई0 विवरण (संलग्नक-1,2,3, एवं 4) में पाया गया कि लोक निजी सहभागिता के अंतर्गत स्वीकृत

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण के संचालन हेतु किए गये अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत फर्म को जनवरी 2014 से सितम्बर 2017 तक कुल ₹ 35.14 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत कमियों को समय-समय पर देयकों को अग्रसारित करते समय उजागर किया जाता है। के0पी0आई0 में कम प्रतिशतता के सम्बन्ध में अवगत कराया कि सम्बन्धित आंकड़ों को जाँचने हेतु किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जिसके कारण बिना वास्तविक आंकड़ों के देयकों को अग्रसारित किया गया। देयकों में अंकित आंकडों एवं प्रावधानित धनराशि की वास्तविक गणना एवं जाँच भुगतान से पूर्व निदेशालय स्तर पर की जाती है। केन्द्र भुगतान से पूर्व समस्त कमियों का संज्ञान लेने हेतु अनुरोध किया गया। बॉयोमैट्रिक उपस्थिति के सम्बन्ध में बताया गया कि इस सम्बन्ध में फर्म को बॉयोमैट्रिक मशीन को चालू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा विभागीय अधिकारियों को भी समय-समय पर सूचित एवं उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार महत्वपूर्ण प्रावधान कार्मकों की बॉयोमैट्रिक उपस्थित है जिसके आधार पर भुगतान की जाने वाली वास्तविक धनराशि की गणना की जाती है। बॉयोमैट्रिक उपस्थिति का न होना अपने-आप में जान-बूझकर की गयी त्रुटि है ताकि वास्तविक उपस्थिति की गणना न की जा सके। परिणामस्वरूप न केवल प्राइवेट पार्टनर को ₹ 35.14 लाख का अधिक भुगतान किया गया अपितु जन साधारण को भी गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा से भी वंचित रहना पड़ा।

अतः ₹ 35.14 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर **02** :- **₹ 2.62** लाख के उपकरण का अनुपयोगी रहना।

कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण चमोली के केन्द्रीय भण्डार पंजिका एवं वाहन से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 2.62 लाख का उपकरण (Single Punchture Laproscopic Machine) विशेषज्ञ नहीं होने के कारण क्रय कि तिथि 05/08/2015 से ही अक्रियाशील पड़ा हुआ था। चिकित्सा उपकरण का इस प्रकार क्रय की तिथि से अनुपयोगी रहना सिद्ध करता है कि उपकरण या तो बिना आवश्यकता के क्रय किया गया या इसके उपयोग हेतु कोई प्रयास ही नहीं किए गये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि विशेषज्ञ एवं सर्जन न होने के कारण मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः ₹ 2.63 लाख के अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01** :- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप **₹ 2.82** लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/XXVII/7 सी भर्ती/2009 दिनांक 13/02/2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनांक 01/01/2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारत किया जाएगा तथा शासनादेश सं0 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनांक 31/12/2013 के अनुसार फार्माशिष्टों/चीफ फार्माशिष्टों का वेतनमान ₹ 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹ 4800 से उच्चीकृत कर वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 संशोधित/उच्चीकृत किया गया था।

कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण, चमोली के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयीः-

1. दो फार्माशिष्टों का वेतन दिसम्बर 2013 के शासनादेश के विपरीत फरवरी 2009 के अनुसार उच्चीकृत करते हुए ग्रेड वेतन ₹ 6600 में न्यूनतम वेतन ₹ 18,750 पर निर्धारण किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण था क्योंकि फरवरी 2009 का शासनादेश उन कार्मिकों पर लागू था जो दिनांक 01/01/2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए हों। विवरण निम्नवत् हैः-

क्र. सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	वेतन निर्धारण तिथि	आधिक्य
1.	श्री रघुबीर सिंह पंवार	चीफ फार्माशिष्ट	01/07/1989	31/12/13 से 31/12/15	33,383.00
2.	श्री प्रेम प्रकाश	फार्माशिष्ट	08/07/1999	08/07/15 से 31/12/15	12,739.00
योग					**46,122.00**

2. इसी प्रकार, सात फार्माशिष्टों की नियुक्ति दिनांक 01.01.2006 के पश्चात हुई थी इनकी नियुक्ति के पश्चात शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनांक 31.12.2013 में इसी संवर्ग के वेतन को उच्चीकृत/संशोधित किया गया। जिसके अनुसार जिन कार्मिकों का ग्रेड वेतन रु. 2800 था उनकों उच्चीकृत करते हुए दिनांक 25.01.2008 को रु. 9300+4200= रु. 13,500 के स्थान पर रु. 9640+4200 = 13,640 पर वेतन निर्धारण किया गया, जो कि शासनादेश दिनांक 13.02.2009 के विपरीत था। इस प्रकार, 07 फार्माशिष्टों का वेतन दिनांक 25.01.2008 से 31.12.2015 तक कुल रु. 2,36,320.00 का अधिक भुगतान किया गया। (विवरण संलग्नक-1)

इस प्रकार, दो फार्माशिष्टों का वेतन रु. 46,122 एवं दिनांक 25.01.2008 से 31.12.2015 तक 07 फार्माशिष्टों को वेतन रु. 2,36,320.00 अर्थात कुल रु. 2,82,422.00 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधीक्षक ने बिंदु संख्या 1 के संबंध में अपने उत्तर में बताया कि समस्त फार्माशिष्टों का वेतनमान शासनादेश दिनांक सितम्बर 2016 एवं महानिदेशक स्वास्थ्य के पत्रांक दिनांक जून 2014 के अनुरूप किया गया। बिन्दु संख्या 2 के संबंध में बताया गया कि भविष्य में उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप रु. 2.82 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
------------शून्य------------				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा. अमलेश कुमार	चिकित्सा अधीक्षक	01.04.2012 से 17.07.2016
2	डा. मणिभूषण पंत	चिकित्सा अधीक्षक	18.07.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरसैंण (चमोली) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षाधिकारी/सा.क्षे.